



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1475, वर्ष 2026

दौलतराम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, लखनऊ, उ.प्र. के माध्यम से

.....विरोधी पक्षकार(गण)

—

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

महेंद्र पाल चौहान, नीरज

तिवारी

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता,

लालू प्रसाद भट्ट,

शिव बहादुर यादव

न्यायालय संख्या - 13

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 / दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक—जो पुलिस थाना-ताराबगंज, जिला गोंडा में दर्ज आपराधिक वाद संख्या 0007 वर्ष 2026 में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 80(2)/304बी और भारतीय न्याय संहिता की धारा 85/भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498A तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत आरोपी है—विचारण के समय जमानत पर रिहाई की माँग कर रहा है।

3. इस वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता ने 05.01.2026 को एक प्राथमिकी दर्ज करायी है। यह प्राथमिकी, वर्तमान आवेदक (जो मृतक का ससुर है) सहित पाँच नामजद आरोपियों के विरुद्ध, भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 80(2) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज की गई है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि उसकी बेटी की शादी 05.06.2025 को नामजद आरोपी - रमेश कुमार (आवेदक का बेटा) के साथ हुई थी, और 04.01.2026 को दहेज की माँग के चलते उसकी हत्या कर दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि प्राथमिकी सभी परिवार वालों के विरुद्ध सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाकर दर्ज की गई है, और इसमें पूरे परिवार को झूठा फँसाया गया है जिसमें वर्तमान आवेदक (मृतक के ससुर) भी सम्मिलित हैं, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति हैं। आगे यह भी कहा गया है कि मृत्यु-समीक्षा आख्या के अनुसार, कमरा अंदर से बंद था और दरवाज़ा तोड़कर खोलने पर, वह छत से लटकी हुई पाई गई; अतः यह आत्महत्या का प्रकरण है।

5. इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पायल शर्मा बनाम पंजाब राज्य और अन्य के वाद में, एस.एल.पी (क्रि) संख्या 3995 वर्ष 2022 दिनांक 26.11.2024 के तहत दिए गए निर्णय के अनुसार, यह अवलोकन किया गया है कि वैवाहिक विवादों में, परिवार के सभी सदस्यों पर आरोप लगाकर घटना का बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया रूप दर्शाया जाता है; अतः न्यायालय को ऐसी शिकायतों से निपटते समय अत्यंत सावधान और सतर्क रहना चाहिए।

6. उक्त निर्णय में, गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले पर भी भरोसा किया गया है, जो (2012)10 एस.सी.सी 741 में वर्णित किया गया है; जिसमें यह माना गया है कि वैवाहिक विवाद में परिवार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के सदस्यों के नामों का केवल यदा-कदा उल्लेख करना—बिना इस आरोप के कि वे प्रकरण में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे—उनके विरुद्ध संज्ञान लेने को उचित नहीं ठहराएगा, और ऐसा करते समय उन्हें अनावश्यक रूप से फँसाने की प्रवृत्ति की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

7. इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि सह-आरोपी, जिसका नाम सूर्या काली (सास) है, ने इस न्यायालय में आपराधिक विविध अग्रिम ज़मानत याचिका, धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, जिसका क्रमांक 409 वर्ष 2026 है, दायर करके संपर्क किया था; और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2026 को एक आदेश पारित करते हुए उसे पहले ही अंतरिम ज़मानत प्रदान की जा चुकी है। बहस के समय ज़मानत आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है। सास पर जो भूमिका आरोपित की गई है, वही भूमिका आवेदक पर भी आरोपित की गई है; अतः आवेदक ज़मानत के मामले में समानता का अधिकारी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 06.01.2026 से जेल में है।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का खण्डन नहीं कर सके—विशेष रूप से उस समानता के संबंध में, जिसका दावा आवेदक ने अपने जैसी ही स्थिति वाले सह-आरोपी, सूर्या काली के साथ किया था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. संबंधित अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद, यह पाया गया है कि आवेदक पर लगाया गया आरोप सह-आरोपी सूर्य काली पर लगाए गए आरोप के समान ही है, जिसे इस न्यायालय द्वारा अग्रिम ज़मानत दी जा चुकी है; अतः आवेदक ने समानता के आधार पर ज़मानत प्राप्त करने का एक उचित वाद प्रस्तुत किया है।

10. तदनुसार, यह ज़मानत अर्ज़ी स्वीकार की जाती है।

11. आवेदक - दौलतराम को उपर्युक्त आपराधिक वाद संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी बंध पत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक विचारण के समय अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक विचारण के समय साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन नहीं देगा, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के सामने हर तय तारीख पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।

(vii) आवेदक साक्ष्यों के लिए तय तारीखों पर, जब साक्षी अदालत में उपस्थित हों, सुनवाई टालने की माँग नहीं करेगा।

(viii) आवेदक, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए तय तारीखों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. यदि ऊपर दी गई शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

13. चूँकि यह आदेश आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

31 मार्च, 2026

नितेश

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।